an>

title: Need to permit all the candidates fulfiling the minimum eligibility criteria to appear in competitive examinations for Senior Secondary Recruits and Artificer Apprentices in Indian Navy.

श्री राहुल कस्वां (चुरू) ः भारतीय नौ सेना में भर्ती नियमों के अनुसार सिपाही भर्ती (एसएसआर एवं एए एवं अधिकारी वर्ग भर्ती (एनडीए) के लिए अविवाहित भारतीय नागरिक/ न्यूनतम योग्यता 10+2 या समकक्ष परीक्षा गणित, भौतिकी एवं बायोलॉजी/रसायन शास्त्र/कम्प्यूटर विज्ञान विषयों में समग्र रूप से 60 प्रतिशत या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो तथा भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ-साथ अन्य मानदण्ड पूर्ण करता हो, तो ऐसी स्थिति में सिपाही भर्ती में शॉर्टलिस्टिंग के नाम पर अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग प्रतिशत क्यों? यह स्थान विशेष/ राज्य में रहने के आधार पर भेदभाव की श्रेणी में आता है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। जब लिखित परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती होनी हो तो प्रतिशत के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग क्यों? सभी न्यूनतम योग्यताधारी पात्र अभ्यर्थियों को बराबर मौका मिलना चाहिए। जहां तक ज्यादा अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म भरने का प्रश्न है, संसाधन बढ़ाकर सभी को मौका मिले तो अच्छे व काबिल सिपाही मिल पायेंगे एवं गुणवत्ता में सुधार होगा। भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन मांगे जाते हैं तो फिर हार्ड कॉपी को सर्वमान्य तरीके तथा रजिस्ट्री डाक, स्पीड पोस्ट, व्यक्तिशः से भी लिया जा सकता है। केवल साधारण डाक से ही पोस्ट बॉक्स एड्रेस पर फॉर्म मंगवाकर न तो रिकॉर्ड रखा जाता है, न ही फॉर्म के समयावधि के मय दस्तावेज पहुंचाने की प्रमाणिकता रहती है। यह अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव व परेशानी है। नौ सेना भर्ती ऑफिसर ग्रेड (एनडीए) के पदों पर न्यूनतम योग्यता 10+2 या समकक्ष परीक्षा गणित, भौतिकी एवं बायोलॉजी/रसायन शास्त्र/कम्प्यूटर विज्ञान विषयों में समग्र रूप से 60 प्रतिशत या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भर्ती योग्य एवं अन्तिम चयनित हो जाते हैं जबकि सिपाही भर्ती में शॉर्टलिस्टिंग के नाम पर मेरिट बनाकर न्यूनतम योग्यता 10+2 और 80 प्रतिशत या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भर्ती योग्य नहीं माने जाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं जो कि भेदभावपूर्ण एवं फोर्स के नियंत्रण एवं कमाण्ड पर भी विपरीत प्रभाव डालता है तथा यह अभ्यर्थी के समानता के अधिकार का हनन है।